

## पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019

### खंडों का क्रम

#### खंड

#### अध्याय 1

##### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना।
2. परिभाषाएं।

#### अध्याय 2

##### आधिनियम के अधीन प्राधिकारी

3. राष्ट्रीय प्राधिकारी का पदाभिधान।
4. सक्षम प्राधिकारी का पदाभिधान।

#### अध्याय 3

##### पोत के लिए अपेक्षाएं

5. इस अध्याय के उपबंधों का लागू नहीं होना।
6. परिसंकटमय सामग्री पर नियंत्रण।
7. सर्वेक्षण।
8. परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र।
9. प्रमाणपत्र की विधिमान्यता।
10. प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण।

#### अध्याय 4

##### पोत पुनर्चक्रण सुविधा

11. पोत पुनर्चक्रण सुविधा का प्राधिकार।
12. पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना और पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार के लिए प्रक्रिया।
13. प्राधिकार का निलंबन या रद्दकरण।
14. आपात तैयारी और प्रक्रिया।
15. कर्मकारों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और बीमा।

#### अध्याय 5

##### पोत पुनर्चक्रण सुविधा

16. पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र।
17. पोत पुनर्चक्रण योजना।
18. साधारण अपेक्षाएं।
19. पोत स्वामी की बाध्यताएं।
20. पोत पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया।
21. परिसंकटमय सामग्री का सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंध।
22. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय करने के लिए पोत पुनर्चक्रक की बाध्यता।

**अध्याय 6**  
**रिपोर्टिंग अपेक्षाएं**

23. समापन का कथन ।  
 24. राष्ट्रीय प्राधिकारी को रिपोर्ट ।

**अध्याय 7**

**अपील**

25. सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील ।  
 26. राष्ट्रीय प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील ।

**अध्याय 8**

**राष्ट्रीय प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और केंद्रीय सरकार की शक्तियां  
 और कृत्य**

27. तलाशी लेने और अभिलेख आदि जब्त करने की शक्ति ।  
 28. किसी पोत के निरीक्षण, खारिज अपवर्जन या निरुद्ध करने की शक्ति ।  
 29. छूट प्रदान करने की शक्ति ।  
 30. कतिपय पोतों पर अधिनियम का लागू नहीं होना ।

**अध्याय 9**

**अपराध, शास्त्रियां, प्रतिकर**

31. अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के लिए शास्त्रिय ।  
 32. इस अधिनियम या नियमों या विनियमों जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है, के उल्लंघन के लिए शास्त्रिय ।  
 33. अन्य अपराधों के लिए दंड ।  
 34. कंपनी द्वारा अपराध ।  
 35. अपराधों का असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होना ।  
 36. अपराधों का संज्ञान ।  
 37. स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता द्वारा देय रकम ।  
 38. विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता ।  
 39. प्रतिकर ।

**अध्याय 10**

**प्रक्रीण**

40. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।  
 41. अधिनियम का किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करना ।  
 42. नियम बनाने की शक्ति ।  
 43. विनियम बनाने की शक्ति ।  
 44. नियमों और विनियमों का रखा जाना ।  
 45. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।  
 46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

## 2019 का विधेयक संख्यांक 361

[दि रिसाइकलिंग आफ शिप बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

# **पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019**

कतिपय मानक स्थापित करके पोत पुनर्चक्रण के विनियमन  
और ऐसे मानकों के प्रवर्तन के लिए कानूनी क्रिया  
विधि अधिकथित करने के लिए और उससे  
संबंधित या आनुषंगिक विषयों का  
उपबन्ध करने के लिए  
विधेयक

५

अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन ने सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही पोत पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2009 अंगीकृत किया है जो सुनिश्चित करता है कि पोत उनके संक्रियात्मक जीवन के समाप्त होने के पश्चात् जब पुनःचक्रित किया जाता है तो वह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा को अनावश्यक जोखिम नहीं पहुंचाए ;

और उक्त अभिसमय अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन सदस्य राज्यों, गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन तथा परिसंकटमय अपशिष्ट के सीमा परे संचलन और उसके निपटान पर बैसल अभिसमय, 1989 के पक्षकारों के साथ सहकार से विकसित किया गया था ;

और हांगकांग अभिसमय पोतों की परिकल्पना, सञ्जर्माण, प्रचालन और निर्मिति से संबंधित पहलू अभिकथित करता है ताकि पोतों की सुरक्षा और प्रचालन दक्षता से समझौता किए बिना सुरक्षित और पर्यावरण दृष्टि से सही पुनर्चक्रण सुकर बनाया जा सके और पोतों के पुनर्चक्रण के लिए एक समुचित प्रवर्तन क्रियाविधि स्थापित की जा सके;

5-

और उक्त अभिसमय ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट करता है जो भारत में पोतों के पुनर्चक्रण को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पोत विघटन संहिता (पुनरीक्षण), 2013 में समाविष्ट नहीं होते;

10

और उक्त अभिसमय, ऐसे देशों जो इसके पक्षकार हो चुके हैं, द्वारा अंतरराष्ट्रीय रूप से अनुसरित किए जाने वाले बहुपक्षीय ढांचे को अधिकथित करता है;

और भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का सदस्य-राज्य होते हुए उक्त अभिसमय में भाग लिया था और पोत पुनर्चक्रण की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के संरक्षण तथा सुरक्षा पर विचार अभिव्यक्त किए थे;

और अब पूर्वोक्त अभिसमय में सम्मिलित होना और पोत पुनर्चक्रण से संबंधित मुददे पर समुचित विधान का होना समीचीन समझा गया।

15

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम,  
प्रारंभ और लागू  
होना।

29

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 है।

25

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के किन्हीं ऐसे उपबंधों के किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध को प्रवर्तन में लाने के लिए संदर्भ है।

(3) जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाए इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे—

39

(क) कोई विद्यमान पोत जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है चाहे जहां कहीं हों ;

(ख) कोई पोत जिसका भारत में रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित हो, चाहे जहां कहीं हो;

(ग) पोत, जो खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न हों, जो किसी पत्तन, पोत प्रांगण या अपतटीय टर्मिनल या भारत में किसी स्थान या अनन्य आर्थिक जोन के भीतर या भारत के राज्यक्षेत्रीय खंड या उसके निकटवर्ती किसी सामुद्रिक क्षेत्रों जिसके ऊपर भारत की, राज्यक्षेत्रीय सागर - खंड, महाद्वीपीय मण्डल भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्रदूषण नियंत्रण के

35

संबंध में अनन्य अधिकारिता है या हो सकती है, में प्रवेश करता है;

**५** (घ) कोई युद्धपोत, नौसेना सहायक या प्रशासन के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित अन्य पोत और जिसका उपयोग सरकारी गैर-वाणिज्यिक सेवाओं के लिए किया गया है और जिसे भारत की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में या उसके भीतर प्रचालित पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रण के लिए नियत किया गया है ; और

(ङ) भारत में या भारत की अनन्य राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र में प्रचालित पोत पुनर्चक्रण सुविधाएं ।

**२.** (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

**१०** (क) “प्रशासन” से देश की सरकार अभिप्रेत है; जिसका ध्वज, पोत फहराने का हकदार है या जिसके प्राधिकार के अधीन वह प्रचालित है ;

(ख) “पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार का प्रमाणपत्र ” से धारा 12 की उपधारा (६) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

**१५** (ग) “परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र” से धारा 8 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) “सक्षम प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 4 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित है;

**२०** (ङ) “परिसंकटमय सामग्री” से ऐसी सामग्री या पदार्थ अभिप्रेत है जो मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए दायी है;

(च) “राष्ट्रीय प्राधिकारी” से धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है;

**२५** (छ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति “अधिसूचित करना” और “अधिसूचित” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) “पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र” से धारा 16 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

**३०** (ज) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(ट) “पोत” से जलयान या किसी भी प्रकार की प्लवमान संरचना जो सामुद्रिक पर्यावरण में प्रचालित है या प्रचालित की जा रही है और इसके अंतर्गत निम्जनी, प्लवमान गाड़ी प्लवमान प्लेटफार्म, स्वयं-उत्थापित प्लेटफार्म, प्लवमान भंडारण इकाई और इसी प्रकार के सम्मिलित है ;

(ठ) “पोत स्वामी” से अभिप्रेत है—

(i) पोत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम अथवा व्यष्टियों का निकाय अथवा कंपनी; या

(ii) कोई संगठन या व्यक्ति जैसे कि प्रबंधक या नाव को मात्र भाड़े

पर लेने वाला जिसने पोत के स्वामी से पोत के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है ;

(iii) कोई कंपनी जो प्रचालक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और सरकार के स्वामित्वाधीन पोत प्रचालित कर रही है ; या

(iv) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम अथवा कंपनी जो पोत को उसके विक्रय के लिए लंबित सीमित अवधि के लिए या पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए सौंपने तक धारण करता है ;

(३) “पोत पुनर्चक्रण” से पोत पुनर्चक्रण सुविधा का स्वामी या कोई अन्य संगठन अथवा व्यक्ति जिन्होंने पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है और जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को लेने के लिए सहमत हैं ;

(४) “पोत पुनर्चक्रण” से परिसंकटमय और अन्य सामग्री का ध्यान रखते हुए पुनःप्रसंस्करण और पुनःउपयोग के लिए संघटक और सामग्री पुनःप्राप्ति के क्रम में पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर किसी पोत को विखंडित करने का क्रियाकलाप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सहबद्ध संक्रियाएं जैसे स्थल पर भंडारण संघटकों और सामग्रियों का उपचार भी सम्मिलित हैं परंतु पृथक् सुविधाओं में आगे प्रसंस्करण या निपटान सम्मिलित नहीं हैं ;

(५) “पोत पुनर्चक्रण सुविधा” से एक निश्चित क्षेत्र अभिप्रेत है जो पोत पुनर्चक्रण के लिए उपयोग किया गया स्थल, यार्ड या सुविधा है और ऐसी अपेक्षाओं को पूरी करती है जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ;

(६) “पोत पुनर्चक्रण योजना” से पोत के लिए विनिर्दिष्ट एक योजना अभिप्रेत है जो किसी पोत के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही रीति से पुनर्चक्रण के लिए पोत पुनर्चक्रण सुविधा द्वारा विकसित किया गया है;

(७) “स्वीकृति का कथन” से धारा 20 की उपधारा (४) में निर्दिष्ट स्वीकृति का कथन अभिप्रेत है;

(८) “समापन का कथन” से धारा 23 में निर्दिष्ट समापन का कथन अभिप्रेत है;

(९) “सर्वेक्षक” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (४८) के अधीन यथा परिभाषित सर्वेक्षक या कोई अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए अभिप्रेत है;

(१०) “कर्मकार” से किसी पोत पुनर्चक्रण में या पोत पुनर्चक्रण के लिए उपयोग की गई किसी मशीनरी या परिसर के किसी भाग को साफ करने में या पोत पुनर्चक्रण के आनुषंगिक अथवा से संबंधित किसी अन्य प्रकार के कार्य में या पोत पुनर्चक्रण के अध्ययीन रहते हुए सीधे या किसी अधिकरण (जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी हैं) के द्वारा या के माध्यम से प्रधान नियोजक के जान से या उसके जान के बिना चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है, परंतु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य नहीं आते हैं ।

(११) शब्द और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु निम्न अधिनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो इन अधिनियमों में हैं :—

५

१०

१५

२०

२५

1958 का 44

३०

३५

५७

1884 का 4	(i) विस्फोटक अधिनियम, 1884;
1917 का 1	(ii) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 ;
1934 का 30	(iii) पैट्रोलियम अधिनियम, 1934;
1948 का 63	(iv) कारखाना अधिनियम, 1948;
1958 का 44	5 (v) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958;
1962 का 33	(vi) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962;
1972 का 53	(vii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972;
1974 का 6	(viii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
1976 का 80	(ix) राज्यक्षेत्रीय सागर - खंड, महादीप मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976;
1980 का 69	(x) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;
1981 का 14	(xi) वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981;
1986 का 29	(xii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

## अध्याय 2

१५

### अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

३. केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को राष्ट्रीय प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन पोत पुनर्घक्रण से संबंधित सभी क्रिया-कलापों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और मॉनीटरी करेगा ।
- २० ४. केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, भौगोलिक क्षेत्र या विशेषज्ञता के क्षेत्रों जैसा कि विहित किया जाए, के भीतर ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकारी जिसे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है को पदाभिहित कर सकेगी ।

राष्ट्रीय प्राधिकारी  
का पदाभिधान ।

सक्षम प्राधिकारी  
का पदाभिधान ।

## अध्याय 3

### पोत के लिए अपेक्षाएं

- २५ ५. इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—
- (क) कोई युद्धपोत नौसेना सहायक या सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा प्रचालित और गैर- सरकारी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए अन्य पोत ;
- (ख) पांच सौ सकल टनभार से कम के पोतः
- ३० परंतु केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसा पोत इस अधिनियम के उपबंधों से संगत रीति से कार्य करे, ऐसे पोत के समुचित उपाय, गैर-हासन संक्रियाएं और प्रचालन क्षमताएं, अधिसूचित कर सकेगी ।
६. (1) कोई पोत ऐसी प्रतिषिद्ध परिसंकटमय सामग्री जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए को प्रतिष्ठापित या उसका उपयोग नहीं करेगा :
- ३५ परंतु केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए पोतों के कतिपय वर्गों या प्रवर्गों को उपधारा (1) के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी ।

इस अध्याय के  
उपबंधों का लागू  
नहीं होना ।

परिसंकटमय  
सामग्री पर  
नियंत्रण ।

(2) प्रत्येक पोत ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अनुपालन में होगा जो विहित किया जाए ।

सर्वेक्षण ।

7. (1) राष्ट्रीय प्राधिकारी या ऐसा व्यक्ति अथवा संगठन जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, पोतों का निम्नलिखित सर्वेक्षण करेगा :—

(क) परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र जारी करने से पहले आरंभिक सर्वेक्षण, ताकि ऐसी अपेक्षाएं जो विहित की जाएं सत्यापित की जा सके ।

(ख) पांच वर्ष से अधिक अंतरालों पर नवीकरण सर्वेक्षण, जो विहित किया जाए ;

(ग) संरचना, उपस्कर, प्रणाली फिटिंग, व्यवस्था या सामग्री में परिवर्तन, प्रतिस्थापन या महत्वपूर्ण मरम्मत के पश्चात् पोत स्वामी के अनुरोध पर या तो साधारण या आंशिक अतिरिक्त सर्वेक्षण;

(घ) पोत को सेवा से बाहर करने से पूर्व और पोत के पुनर्जन्म से पहले एक अंतिम सर्वेक्षण ताकि ऐसी अपेक्षाएं जो विहित की जाए, सत्यापित की जा सके; और

(ङ) ऐसे अन्य सर्वेक्षण जो विहित किए जाएं ।

(2) सर्वेक्षण, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा और इस प्रभाव का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

परिसंकटमय  
सामग्री की सूची  
पर प्रमाणपत्र ।

8. (1) प्रत्येक नए पोत का स्वामी, राष्ट्रीय प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र के लिए एक आवेदन करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र प्रत्येक पोत के लिए विनिर्दिष्ट होगा :

परंतु इस अधिनियम के आरंभ की तारीख पर विद्यमान पोत और जिसके लिए परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, ऐसे पोत का स्वामी, इस अधिनियम की आरंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

परंतु यह और कि परिसंकटमय सामग्री की सूची पर किसी प्रशासन द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्य होगा ।

(2) परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र के निर्बंधन और शर्तें, रूप-विधान तथा प्रदान करने की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

(3) परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र का उचित रूप से रख-रखाव किया जाएगा और परिसंकटमय सामग्री को अंतर्विष्ट करने वाले नए प्रतिष्ठापन और पोत की संरचना और उपस्कर में सुसंगत परिवर्तनों को प्रतिबिंబित करते हुए पोत के प्रचालन जीवन तक अद्यतन किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “नया प्रतिष्ठापन” में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् पोत पर प्रतिष्ठापित प्रणाली उपस्कर, रोधन या अन्य सामग्री सम्मिलित है ।

(4) परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार संचालित एक अतिरिक्त सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् पृष्ठांकित किया जाएगा ।

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

५०

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्तियां—

- (i) “विद्यमान पोत” से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो नया नहीं है;
- (ii) “नया पोत” से ऐसा पोत अभिप्रेत है, —

५ (क) जिसके निर्माण की संविदा इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख पर या उसके पश्चात् की गई है; या

(ख) उपधारा (क) में निर्दिष्ट से भिन्न पोत, जिसकी कील रख दी गई है या जो इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से छह माह पश्चात् सन्निर्माण की समान अवस्था में है; या

१० (ग) जिसका इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से तीस माह के पश्चात् परिदान किया जाना है और जिसे भारत में रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है।

९. धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि जो विहित की जाए के लिए जारी किया जाएगा या नवीकृत किया जाएगा :

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता।

१५ परंतु जहां परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र की विधिमान्यता ऐसे समय में समाप्त होती है जब पोत ऐसे पत्तन में नहीं है जहां सर्वेक्षण किया जाना है, प्रशासन ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि का विस्तार कर सकेगा और ऐसा विस्तार तभी प्रदान किया जाएगा जब—

(क) जहां पोत को अनुज्ञात करने का प्रयोजन ऐसे पत्तन जहां सर्वेक्षण किया जाना है, तक जलयात्रा पूरी करना है; या

२० (ख) ऐसी दशा में जहां प्रशासन को ऐसा करना उचित और युक्ति-युक्त प्रतीत होता है :

२५ परंतु यह और कि कोई प्रमाणपत्र तीन मास की अवधि से अधिक विस्तारित नहीं किया जाएगा और पोत जिसे ऐसा विस्तार प्रदान किया जाता है, के ऐसे पत्तन जहां उसका सर्वेक्षण किया जाना है पहुंचने पर, ऐसे विस्तार के आधार पर प्रमाणपत्र का नवीकरण कराए बिना पत्तन को छोड़ने का हकदार नहीं होगा।

१०. परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित किन्हीं दशाओं में निलंबन या रद्दकरण का दायी होगा, अर्थात् :—

प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण।

(i) जहां पोत प्रथम दृष्टया प्रमाणपत्र की विशिष्टियों का अनुपालन नहीं करता;

३० (ii) जहां परिसंकटमय सामग्री की सूची पोत की संरचना और उपस्कर में ऐसे परिवर्तन जो विहित किए जाएं, के साथ उचित रूप से नहीं रखी जाती है और अद्यतन नहीं की जाती है;

(iii) पोत के झांडे का दूसरे राज्य को अंतरण की दशा में ;

३५ (iv) यदि प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण, धारा 7 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता; या

(v) यदि प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन निम्नलिखित प्रकट नहीं करता,—

(क) धारा 7 के अधीन यथा अपेक्षित अतिरिक्त सर्वेक्षण का संचालन; या

(ए) धारा 9 के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र की विधिमान्यता का विस्तार :

परंतु इस धारा के अधीन कोई प्रमाणपत्र तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि पोत के स्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता ।

#### अध्याय 4

५

### पोत पुनर्चक्रण सुविधा

पोत पुनर्चक्रण  
सुविधा का  
प्राधिकार ।

पोत पुनर्चक्रण  
सुविधा प्रबंध  
योजना और पोत  
पुनर्चक्रण सुविधा  
के प्राधिकार के  
लिए प्रक्रिया ।

11. कोई पोत पुनर्चक्रक, पोत का पुनर्चक्रण नहीं करेगा जब तक कि पोत पुनर्चक्रण सुविधा धारा 12 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकृत नहीं है ।

12. (1) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त संगठन से पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र चाहने वाला पोत पुनर्चक्रक, विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

13. (2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, किया जाएगा ।

14. (3) इस अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व पोत पुनर्चक्रण में लगी हुई प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा, ऐसे प्रारंभ की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्राधिकार के लिए आवेदन करेगी ।

15. (4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के आरंभ के अव्यवहित पूर्व पोत पुनर्चक्रण में लगी हुई प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की समाप्ति पर किसी ऐसे पुनर्चक्रण का संचालन नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा ने प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं किया है और उसे इस प्रकार प्राधिकृत नहीं किया जाता या जब तक ऐसे आवेदन का निपटान नहीं किया जाता, जो भी पहले हो ।

16. (5) कोई पोत पुनर्चक्रण सुविधा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नहीं की जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सुविधा ऐसे उपस्कर्तों और मानकों जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, का रख-रखाव नहीं करती है ।

17. (6) सक्षम प्राधिकारी किसी जांच को करने के पश्चात् और उसका यह समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, ऐसे रूपविधान में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए प्राधिकार का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

18. (7) किसी जांच के होने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों का अनुपालन नहीं किया है तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, प्राधिकार के लिए आवेदन को खारिज कर सकेगा ।

19. (8) पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकार का प्रत्येक प्रमाणपत्र पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए के लिए विधिमान्य होगा ।

	(9) प्राधिकार का प्रत्येक प्रमाणपत्र ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के पश्चात् और ऐसी फीस जो विहित की जाए के संदाय पर नवीकृत किया जाएगा ।	
५	(10) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन का समाधान करने के लिए प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा की वार्षिक लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट ऐसे राष्ट्रीय प्राधिकारी को अद्यतित करेगा ।	प्राधिकार का निलंबन रद्दकरण ।
१०	13. (1) सक्षम प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, जब कभी आवश्यक समझे, पोत पुनर्चक्रण सुविधा की जांच या निरीक्षण संचालित कर सकेगा और पोत पुनर्चक्रक को यह दर्शाते हुए नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों न नोटिस में उल्लेखित कारणों के लिए उसकी पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार को निलंबित या रद्द कर दिया जाए ।	
१५	(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या निरीक्षण की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।	
२०	(3) यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का भंग किया गया है तो वह ऐसी किसी आपराधिक कार्यवाही जो ऐसे पोत पुनर्चक्रक के विरुद्ध की जा सकेगी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसका प्राधिकार निलंबित या रद्द कर सकेगा:	
२५	परंतु ऐसा कोई प्राधिकार पोत पुनर्चक्रक को मामले में सुने जाने का अवसर दिए बिना निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा ।	
१948 का 63	(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी नोटिस को जारी किए बिना किसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार को निलंबित या रद्द कर सकेगा ।	आपात तैयारी और प्रक्रिया ।
१948 का 63 ३०	14. प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक, उसकी पोत पुनर्चक्रण सुविधा में कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार आपात तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त उपायों का रख-रखाव करेगा ।	
३५	15. (1) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक, उसकी पोत पुनर्चक्रण सुविधा में कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और कर्मकारों का कल्याण के लिए पर्याप्त उपाय उपबंधित करेगा और इस प्रयोजन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू होंगे ।	कर्मकारों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और बीमा ।
	(2) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण, नियमित और अस्थायी कर्मकारों के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, व्यक्तिगत या व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करेगा ।	
	अध्याय 5	
	<b>पोत पुनर्चक्रण सुविधा</b>	
३५	16. (1) पोत का स्वामी जो पोत का पुनर्चक्रण का आशय रखता है राष्ट्रीय प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी फीस के साथ जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए या संबंध प्रशासन को ऐसे प्रशासन द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा ।	पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात् जारी किया जा सकेगा और इसके जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

परंतु विधिमान्यता की अवधि राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे कारणों से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या संबंध प्रशासन द्वारा ऐसे प्रशासन द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी ।

५

(3) पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र विधिमान्य नहीं रहेगा, यदि पोत की स्थिति प्रमाणपत्र की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होती है ।

पोत पुनर्चक्रण  
योजना ।

17. (1) कोई पोत पुनर्चक्रक, उपधारा (2) के अधीन जारी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई पोत पुनर्चक्रक योजना के बिना किसी पोत का पुनर्चक्रण नहीं करेगा ।

१०

(2) राष्ट्रीय प्राधिकारी, पोत के विभिन्न प्रवर्गों के लिए पोत पुनर्चक्रण योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी, पोत पुनर्चक्रक को सुने जाने के पश्चात् पोत पुनर्चक्रण योजना का अनुमोदन करने से मना कर सकेगा यदि उसके पास विश्वास का कारण है कि योजना राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मार्ग दर्शक सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करती है ।

१५

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी पोत पुनर्चक्रण योजना के अनुमोदन के संबंध में अपना विनिश्चय उसके प्रस्तुत किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर संप्रेषित करने में विफल रहता है तो योजना अनुमोदित की गई समझी जाएगी ।

२०

साधारण  
अपेक्षाएँ ।

18. (1) किसी पोत का पुनर्चक्रण ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त लिखित अनुज्ञा या यथास्थिति समझी गई अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा ।

२५

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत जिसका भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर पुनर्चक्रण किया जाना आशयित है, का पुनर्चक्रण केवल ऐसी पुनर्चक्रण सुविधा पर किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है ।

पोत स्वामी की  
बाध्यताएँ ।

19. (1) पोत, जिसका भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर पुनर्चक्रण किया जाना आशयित है, का स्वामी—

२५

(i) समुद्रीय बचाव समन्वय केंद्र और सक्षम प्राधिकारी को आगमन की तारीख के बारे में कम से कम सात दिन की अग्रिम सूचना, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, देगा;

३०

(ii) पतन पर पहुंचने पर सभी पतन बकाया यदि कोई हो, चुकायेगा और विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ; और

(iii) पोत को माल पोत अवशिष्ट से साफ रखेगा और किसी बचे हुए ईंधन ऑयल और बोर्ड पर अवशिष्ट को न्यूनतम रखेगा ।

३५

- (2) टैकर, जिसका भारत राज्यक्षेत्र के भीतर पुनर्चक्रण किया जाना आशयित है, का स्वामी विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रवेश के लिए सुरक्षित या हॉटवर्क के लिए सुरक्षित या दोनों के लिए ऐसी शर्तें पूर्ण करेगा ।
- 2५-** 20. (1) सक्षम प्राधिकारी, पोत का केवल भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात् ही पुनर्चक्रण की अनुज्ञा प्रदान करेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकरणों, जो विहित किए जाएं, के प्रतिनिधियों की सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकेगा ।
- (2) जहां सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर अनुज्ञा प्रदान करने के संबंध में उसका विनिश्चय संप्रेषित करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रदान की हुई समझी जाएगी ।
- 10 (3) सक्षम प्राधिकारी, पोत के स्वामी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् कारण अभिलिखित करके पोत पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा देने से मना कर सकेगा ।
- 15 (4) पोत पुनर्चक्रक, पोत पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा की प्रति प्राप्त होने पर ऐसे प्रस्तुप और रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते हुए पोत के स्वामी को स्वीकृति का कथन जारी करेगा और उसके पश्चात् पोत का स्वामी पोत विरजिस्ट्रीकृत करवा सकेगा ।
- 21.** प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक,—
- (क) पोत से परिसंकटमय पदार्थ का सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही हटाया जाना और प्रबंध करना सुनिश्चित करेगा ; और
- 20 (ख) आधारिक अवसरंचना सुविधाएं जिसके अंतर्गत, जो अवशिष्ट और परिसंकटमय सामग्री के पर्यावरण से सुरक्षित निपटान या प्रबंधन से संबंधित है, भी सम्मिलित है, से संबंधित ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, करेगा ।
- 22.** (1) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक,—
- 25 (i) यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर पुनर्चक्रण क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को कोई क्षति नहीं हो ; और
- (ii) पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करेगा ।
- (2) सुविधा में तेल फैल जाने की दशा में, पोत पुनर्चक्रक सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए नोटिस तामील करेगा ।
- (3) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन के लिए पोत पुनर्चक्रक ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी पर्यावरण नुकसानी और स्वच्छता प्रचालन प्रतिकर अदा करने का दायी होगा ।
- अध्याय 6**
- 35- रिपोर्टिंग अपेक्षाएं**
23. जब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पोत पुनर्चक्रित किया जाता है तो ऐसी विशिष्टियां जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंतर्विष्ट करने वाला समापन का कथन पोत पुनर्चक्रक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

पोत पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया ।

परिसंकटमय सामग्री का सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंध ।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय करने के लिए पोत पुनर्चक्रक की बाध्यता ।

समापन का कथन ।

राष्ट्रीय प्राधिकारी  
को रिपोर्ट।

**24.** सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर राष्ट्रीय प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके अंतर्गत अनुमोदित सुविधाओं की सूची, पोतों की सूची जिन्होंने इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है और ऐसे पोतों पर की गई कार्यवाही तथा पुनःचक्रित किए गए पोतों की सूची समाविष्ट करने वाली सूचना, जो राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए, सम्मिलित होगी।

५

### अध्याय 7

#### अपील

सक्षम प्राधिकारी  
के विनिश्चय के  
विरुद्ध अपील।

**25.** (1) कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत सर्वक्षक या अन्य प्राधिकृत संगठन अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए विनिश्चय से व्यक्ति है वह ऐसी रीति में जो विहित की जाए ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिवस की अवधि के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

१०

परंतु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मामलों के संबंध में, जिनके लिए ऐसी विधियों में अपीलीय उपबंध विद्यमान है, तब अपीलार्थी ऐसी विधियों में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को अपील दाखिल करेगा।

१५

(2) उपधारा (1) के अधीन दाखिल अपील, ऐसी रीति में जो विहित की जाए निपटायी जाएगी।

राष्ट्रीय प्राधिकारी  
के विनिश्चय के  
विरुद्ध अपील।

**26.** (1) कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय से व्यक्ति है केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति में जो विहित की जाए ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा।

२०

(2) उपधारा (1) के अधीन दाखिल अपील, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, निपटायी जाएगी।

### अध्याय 8

#### राष्ट्रीय प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और केंद्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य

तलाशी लेने और  
अभिलेख आदि  
जब्त करने की  
शक्ति।

**27.** (1) यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को विश्वास का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा प्राधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जिसे ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, के साथ, ऐसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा में युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और वहां पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, उपस्कर या किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और उसे अभिग्रहीत कर सकेगा यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को विश्वास का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के कारित किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

२५

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

३१९७४ का 2

**28.** (1) राष्ट्रीय प्राधिकारी या प्रशासन या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई सर्वक्षक, किसी पोत को जब वह किसी पतन या भारतीय समुद्र के भीतर है, युक्ति-युक्त समय

किसी पोत के  
निरीक्षण, खारिज  
अपदर्जन या

पर, निरीक्षण कर सकेगा :

निरुद्ध करने की शक्ति ।

परंतु ऐसा कोई निरीक्षण केवल यह सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए होगा कि पोत पर या तो परिसंकटमय सामग्री की सूची का प्रमाणपत्र या पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र है ।

५

(2) राष्ट्रीय प्राधिकारी, निम्नलिखित दशा में उसके पत्तनों या भारतीय समुद्री क्षेत्र के भीतर किसी पोत को खारिज, अपवर्जित या निरुद्ध कर सकेगा—

(क) परिसंकटमय सामग्री की सूची पर विधिमान्य प्रमाणपत्र या विधिमान्य पुनर्चक्रण के लिए तैयार विधिमान्य प्रमाणपत्र या दोनों, यथा लागू को रखने में विफल होने पर ; या

१०

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित परिसंकटमय सामग्री के लिए नियंत्रण उपायों का अननुपालन करने पर ।

१५

(3) उपधारा (2) के अधीन निरुद्ध पोत, उस समय तक निरुद्ध रहेगा जब तक कि अननुपालन को परिशोधित नहीं किया जाता या जब तक कि ऐसे समय तक राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे निरुद्ध पोत को पोत, पर्यावरण या पोत पर के व्यक्तियों को खतरे में डाले बिना युक्ति-युक्त मरम्मत यार्ड या पत्तन पर भेजने के लिए अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है ।

२०

(4) भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक का कोई आयुक्त अधिकारी या पत्तन अधिकारी, पायलेट, बंदरगाह मास्टर, पत्तन का संरक्षक या सीमाशुल्क कलैक्टर पोत को निरुद्ध कर सकेगा, जिसका निरुद्ध किया जाना इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत या आदेशित है ।

२५

29. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, पर किसी जलयान या उसके किसी वर्ग, जहां पोत पुनर्चक्रण सुविधा या पोत पुनर्चक्रक को इस अधिनियम में अंतर्विष्ट या उसके अनुसरण में विहित किसी विशिष्ट अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकेगी या ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन अभिमुक्त कर सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपेक्षाओं का सारभूत रूप से पालन किया गया है या मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन अभिमुक्त है या अभिमुक्त किया जाना चाहिए ।

३०

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई कोई छूट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए है तो उनमें से किन्हीं शर्तों का भंग, अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपराध समझा जाएगा ।

३५

30. इस अधिनियम के उपबंध भारतीय पोतों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए :

परंतु ऐसे पोतों से ऐसी रीति जो विहित की जाए में कार्य करना अपेक्षित होगा ।

#### अध्याय 9

#### अपराध, शास्त्रियां, प्रतिकर

४०

31. (1) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में पोत में प्रतिषिद्ध परिसंकटमय सामग्री प्रतिष्ठापित करता है या उसका उपयोग करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे जुमाने से जो पांच लाख रुपये तक बढ़ाया

छूट प्रदान करने की शक्ति ।

अधिनियम पोतों पर अधिनियम का लागू नहीं होना ।

अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के लिए शास्त्रि ।

जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा ।

(4) जो कोई धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा ।

(5) जो कोई विनियमों के अनुसार पोत से किसी परिसंकटमय सामग्री के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही निराकरण या प्रबंधन को सुनिश्चित करने में विफल रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे जुर्माने से जो पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा ।

(6) जो कोई धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन तेल फैल जाने के लिए जारी किए गए नोटिस का उत्तर देने में विफल रहता है वह निम्नलिखित से दंडनीय होगा—

(i) पहला, नोटिस जारी किए जाने से बारह घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में जुर्माना से जो पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है;

(ii) दूसरे नोटिस जारी किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में जुर्माना से जो दस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है; और

(iii) तीसरा नोटिस जारी किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में कारावास से जो तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना से जो पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है ।

इस अधिनियम या नियमों या विनियमों जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे जुर्माना जिसे दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है के लिए अतिरिक्त जुर्माने जिसे पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है से दंडनीय होगा ।

अन्य अपराधों के लिए दंड ।

32. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों जिसके लिए इस अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे जुर्माना जिसे दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है के लिए अतिरिक्त जुर्माने जिसे पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है से दंडनीय होगा ।

33. (1) यदि कोई पोत, निरुद्ध किए जाने या ऐसे निरुद्ध किए जाने की कोई सूचना या आदेश की तामील के पश्चात्, राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्मुक्त किए जाने से पहले समुद्र में ले जाया जाता है तो पोत का स्वामी या मास्टर इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पोत को निरुद्ध करने या उसका सर्वेक्षण करने के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति को अवरुद्ध करता है या निरुद्ध करता है या बलपूर्वक समुद्र में ले जाता है तो, ऐसे पोत का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता प्रत्येक सभी व्ययों और ऐसे व्यक्ति को समुद्र में ले जाने

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

के लिए आनुषंगिक व्ययों को अदा करने के लिए दायी होगा और वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का भी दोषी होगा ।

३४. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

१० परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।

१५ (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

#### स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

२० (क) कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सहकारी सोसायटी, फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में 'निदेशक' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

१९७४ का २ ३५. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विच्छिन्न किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अंसजेय, जमानतीय और शमनीय होगा ।

२५ ३६. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संजान किसी न्यायालय द्वारा, निम्नलिखित द्वारा की गई शिकायत के सिवाय नहीं किया जाएगा --

(क) केंद्रीय सरकार;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी; या

(ग) सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी;

३० ३७. जब कोई स्वामी या मास्टर अथवा अभिकर्ता धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है, तो ऐसे स्वामी या मास्टर अथवा अभिकर्ता द्वारा व्ययों के लेखे देय रकम ऐसी रीति, में जो विहित की जाए अवधारित की जाएगी और वसूल की जाएगी ।

३५ ३८. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन किसी अपराध को कारित करने वाले किसी व्यक्ति का विचारण ऐसे अपराध के लिए ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां वह पाया जाता है या किसी ऐसे न्यायालय में, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्देश दे या किसी न्यायालय में, जहां उसका विचारण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, किया

कंपनी द्वारा  
अपराध ।

अपराधों का  
असंजेय,  
जमानतीय और  
शमनीय होना ।

अपराधों का  
संजान ।

स्वामी, मास्टर या  
अभिकर्ता द्वारा  
देय रकम ।

विचारण का  
स्थान और  
न्यायालय की  
अधिकारिता ।

जा सकेगा ।

प्रतिकर ।

39. (1) जहां कोई पोत युक्ति-युक्त कारण के बिना निरीक्षण या अन्वेषण के परिणामस्वरूप असम्यक रूप से निरुद्ध या विलंबित किया जाता है तब ऐसा पोत उसके द्वारा वहन की गई किसी हानि या नुकसानी के लिए प्रतिकर का हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिकर की दर, गणना की पद्धति और ऐसे प्रतिकर के संदाय की रीति वह होगी जो विहित की जाए ।

(3) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन प्रतिकर का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, को विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णयक अधिकारी के रूप में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् नाम निर्दिष्ट कर सकेगी ।

#### अध्याय 10

### प्रकीर्ण

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

40. (1) केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में उपबंधित की जाए, निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उसके संबंध में उसके द्वारा प्रयुक्त किसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश के उपबंधित की जाए, निर्देश दे सकेंगे कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उसके संबंध में उसके द्वारा प्रयुक्त किसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी जैसा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी ।

41. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उसका अल्पीकरण नहीं करेंगे ।

अधिनियम का किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करना ।

नियम बनाने की शक्ति ।

42. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 4 के अधीन भौगोलिक क्षेत्र या विशेषज्ञता के क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक पोत द्वारा अनुपालन किए जाने वाले परिसंकटमय सामग्री के किसी प्रतिष्ठापन या प्रयोग पर अधिरोपित निर्बंधन और शर्तें ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन पोतों के सर्वेक्षण के लिए सत्यापित की जाने वाली अपेक्षाएं ;

५-

१०

१५

२०

२५

३०

३५

- (घ) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ः.) के अधीन पोत के सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित अन्य शर्तें;
- ५ (ः.) धारा 8 की उपधारा (2) और धारा 9 के अधीन परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तें, विधिमान्यता, रूपविधान और रीति ;
- (च) धारा 10 के खंड (ii) के अधीन पोत की संरचना और उपस्कर में परिवर्तन ;
- (छ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन पोत पुनर्चक्रण की सुविधा के प्राधिकार के लिए आवेदन करने के लिए प्ररूप, फीस और रीति ;
- १० (ज) धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन प्राधिकार के प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए रीति, अवधि और फीस ;
- (झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नियमित या अस्थायी कर्मकारों के लिए व्यक्तिगत या व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करने की रीति ;
- १५ (ञ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन पोत के आगमन के बारे में अग्रिम सूचना की रीति ;
- (ट) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अभिकरणों के प्रतिनिधियों की सेवाओं के अध्युपेक्षा ;
- (ठ) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन पोत पुनर्चक्रक का पर्यावरण नुकसानी के लिए दायित्व ;
- २० (ड) धारा 25 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील दाखिल करने की रीति और ऐसी अपील के निपटान की रीति;
- (ढ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील दाखिल करने की रीति और ऐसी अपील के निपटान की रीति;
- २५ (ण) धारा 30 के परंतुक के अधीन अधिनियम के उपबंधों के लागू नहीं होने के लिए रीति जिसमें पोतों से कार्य किया जाना अपेक्षित है ;
- (त) धारा 37 के अधीन देय रकम को अवधारित करने और वसूल की रीति ;
- (थ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर की रकम, गणना की पद्धति और प्रतिकर की रीति, जिसका पोत हकदार होगा ;
- ३० (द) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के संदाय के प्रयोजन के लिए जांच करने की रीति ;
- (ध) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है, या जो विहित किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।
- ३५ ४३. (1) राष्ट्रीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-
- (क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा

विनियम बनाने की शक्ति ।

से संबंधित अपेक्षाएँ ;

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना तैयार करने की रीति ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा रखे जाने वाले उपस्कर और अन्य मानक ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन प्रारूप जिसमें प्राधिकार का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ;

(ङ.) धारा 12 की उपधारा (8) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकार के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि ;

(च) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और निरीक्षण की रीति ;

(छ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारी को आवेदन करने की रीति ;

(ज) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र को जारी करने की रीति और रूपविधान ;

(झ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने की रीति ;

(ञ) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा को प्राधिकृत करने के लिए प्राधिकारी ;

(ट) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन पोत के स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज;

(ठ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश के लिए सुरक्षित और हॉटवर्क के लिए सुरक्षित या दोनों के लिए शर्त ;

(ड) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा स्वीकृति का कथन जारी करने का प्ररूप और रीति ;

(ढ) धारा 21 के खंड (ख) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा अनुपालन किए जाने वाली, परिसंकटमय सामग्री को हटाए जाने और उसके प्रबंधन तथा आधारिक अवसंरचना से संबंधित अपेक्षाएँ ;

(ण) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा तेल फैलने की दशा में पोत पुनर्चक्रक को नोटिस के तामील की रीति;

(त) धारा 23 के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा समापन का कथन प्रस्तुत करने की रीति ; और

(थ) कोई अन्य मामला जो विनियमों द्वारा अपेक्षित या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

**44.** केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम उनके बनाये जाने के शीघ्र पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वांकत आनुक्रमिक सत्रों के

ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरण रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, तथा नियम या विनियम के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

45. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

सदभावनापूर्वक  
की गई कार्रवाई  
के लिए संरक्षण ।

कठिनाइयों को दूर  
करने की शक्ति ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत तीस प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वैश्विक पोत पुनर्चक्रण उद्योग में अग्रणी है। पोत-पुनर्चक्रण उद्योग एक श्रम-गहन क्षेत्र है लेकिन यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित चिंताओं से संकटग्रस्त है। विद्यमान विनियामक ढांचा अर्थात् पोत विघटन संहिता (पुनरीक्षित), 2013 भारत में पोत पुनर्चक्रण क्रियाकलापों को शासित करता है और पर्यावरण संरक्षण तथा कर्मकारों की सुरक्षा के लिए मानक का अधिकथित करता है। तथापि, यह संहिता, इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध नहीं करती है या पोत पर परिसंकटमय सामग्री को निर्बंधित और प्रतिषिद्ध करने से व्यवहार नहीं करती है।

2. उपरोक्त के इष्टिगत, पोत पर परिसंकटमय सामग्री को निर्बंधित और प्रतिषिद्ध करने और कठिमय मानक स्थापित करते हुए पोत पुनर्चक्रण के विनियमन तथा ऐसे मानकों के प्रवर्तन के लिए कानूनी क्रियाविधि अधिकथित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए एक विधान की अधिनियमिति का प्रस्ताव किया जाता है।

3. प्रस्तावित पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) पोत पुनर्चक्रण से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और मानीटरी करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारी कहे जाने वाले एक प्राधिकारी को पदाभिहित करना;

(ii) विशेषज्ञता के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विहित कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कहे जाने वाले एक प्राधिकारी को पदाभिहित करना;

(iii) इस विधेयक के उपबंधों का किसी युद्ध पोत, नौसेना सहायक या सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा प्रचालित और गैर-सरकारी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए अन्य पोतों पर लागू नहीं होना;

(iv) यह उपबंध करना कि कोई पोत ऐसी प्रतिषिद्ध परिसंकटमय सामग्री जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को प्रतिष्ठापित या उसका उपयोग नहीं करेगा;

(v) परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र और पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र जारी करना, जो पोत के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, जो उसके स्वामी द्वारा पुनर्चक्रण करने के लिए नियत है

(vi) पोत पुनर्चक्रण योजना से संबंधित उपबंध जो पोत पुनर्चक्रण द्वारा तैयार किए जाएंगे और पोत पुनर्चक्रण के लिए साधारण अपेक्षाएँ;

(vii) पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने के लिए पोत पुनर्चक्रण पर बाध्यता अधिरोपित करना;

(viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध राष्ट्रीय प्राधिकारी और राष्ट्रीय

प्राधिकारी से केंद्रीय सरकार को अपील का उपबंध करना ।

4. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों का विस्तृत वर्णन करता है ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;  
21 नवंबर, 2019

मुकेश मंडावीया

## खंडों पर टिप्पण

**खंड 1**—विधेयक का यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित है तथा प्रस्तावित विधान के उपबंधों के प्रारम्भ की बाबत कोई तारीख नियत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाता है। यह खंड यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि यह विधान प्रत्येक विद्यमान पोत, भारत में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा रखने वाले प्रत्येक नए पोत, अन्य पोतों जब वे भारत की क्षेत्रीय सीमाओं या अनन्य आर्थिक जोन में हैं और भारत की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर सभी पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं पर लागू होगा।

**खंड 2**—यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषा को अंतर्विष्ट करता है।

**खंड 3**—यह खंड उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस विधान के अधीन पोत पुनर्चक्रण की बाबत सभी क्रियाकलापों के प्रशासन, पर्यवेक्षण और मानीटरी के लिए संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को राष्ट्रीय प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी।

**खंड 4**—यह खंड उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार विहित भौगोलिक क्षेत्र या विशेषज्ञता के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन के लिए सक्षम प्राधिकारी को पदाभिहित करेगी।

**खंड 5**—यह खंड उपबंध करता है कि “पोत के लिए अपेक्षाएं” पर अध्याय, सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या प्रचालित और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग होने वाले और पांच सौ सकल टन भार से कम के किसी पोत को नहीं लागू होगा।

**खंड 6**—यह खंड केन्द्रीय सरकार को पोतों पर अधिसूचित प्रतिषिद्ध परिसंकटमय सामग्रियों के उपयोग या उसके प्रतिष्ठापन पर नियंत्रण हेतु सशक्त करता है।

**खंड 7**—यह खंड राष्ट्रीय प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन को पोतों के विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण संचालित करने को सशक्त करता है।

**खंड 8**—यह खंड प्रत्येक पोत के परिसंकटमय सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र रखने और अनुरक्षण का उपबंध करता है और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रतिपादित करता है।

**खंड 9**—यह खंड परिसंकटमय सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र के विधिमान्यता की अवधि प्रतिपादित करता है।

**खंड 10**—यह खंड परिसंकटमय सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र के निलंबन या रद्दकरण की प्रक्रिया प्रतिपादित करता है।

**खंड 11**—यह खंड उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत न होने वाली किसी सुविधा में किसी पोत का पुनर्चक्रण नहीं किया जाएगा।

**खंड 12**—यह खंड पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार के लिए प्रक्रिया प्रतिपादित करता है।

**खंड 13**—यह खंड पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार के निलंबन या रद्दकरण की

प्रक्रिया प्रतिपादित करता है।

**खंड 14**—यह खंड उपबंध करता है कि प्रत्येक पोत कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार आपात तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त उपायों का रखरखाव करेगा।

**खंड 15**—यह खंड उपबंध करता है कि प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अनुदेश, पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए पर्याप्त उपायों का अनुरक्षण करेगा।

**खंड 16**—यह खंड पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र के लिए तैयार प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और इसकी विधिमान्यता प्रतिपादित करता है।

**खंड 17**—यह खंड पुनर्चक्रण किए जाने वाले प्रत्येक पोत के लिए पोत पुनर्चक्रण योजना की अपेक्षा और इसकी तैयारी और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया प्रतिपादित करता है।

**खंड 18**—यह खंड पोत के पुनर्चक्रण के लिए पूर्व अनुज्ञा की साधारण अपेक्षाओं की विहित करता है।

**खंड 19**—यह खंड पोत के स्वामी जिसका कि भारत में पुनर्चक्रण किया जाना आशयित है के कतिपय बाध्यताओं को विहित करता है।

**खंड 20**—यह खंड पोत के पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया विहित करता है।

**खंड 21**—यह खंड परिसंकटमय सामग्रियों के सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरणीय की दृष्टि से सही प्रबंध हेतु पोत पुनर्चक्रक के लिए कतिपय बाध्यताओं को विहित करता है।

**खंड 22**—यह खंड पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों हेतु पोत पुनर्चक्रक के लिए कतिपय बाध्यताओं को विहित करता है।

**खंड 23**—यह खंड विहित करता है कि विधानों के उपबंधों के अनुसरण में पोत के पुनर्चक्रण किए जाने के पश्चात् समापन का कथन जारी किया जाएगा।

**खंड 24**—यह खंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का उपबंध करता है।

**खंड 25**—यह खंड सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील का उपबंध करता है।

**खंड 26**—यह खंड राष्ट्रीय प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील का उपबंध करता है।

**खंड 27**—यह खंड राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को किन्हीं अभिलेखों की तलाशी या उसको अभिग्रहीत करने के लिए सशक्त करता है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा में इस विधान के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है।

**खंड 28**—यह खंड राष्ट्रीय प्राधिकारी या किसी प्राधिकृत सर्वक्षक को किसी पोत के निरीक्षण, खारिज, अपवर्जन और निरुद्ध करने के लिए सशक्त करता है जब वह

विधिमान्य प्रमाण पत्र नहीं रखता है या परिसंकटमय सामग्रियों के लिए नियंत्रण उपायों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

**खंड 29**—यह खंड केन्द्रीय सरकार को किसी जलयान या जलयानों के वर्ग या किसी पोत पुनर्घक्रण सुविधा या किसी पुनर्घक्रक को लिखित में आदेश द्वारा और विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए इस विधान के उपबंधों से छूट देने हेतु सशक्त करता है।

**खंड 30**—यह खंड केन्द्रीय सरकार को किन्हीं पोतों के प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है जिसको इस विधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

**खंड 31**—यह खंड इस विधान या इस विधान के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां विहित करता है।

**खंड 32**—यह खंड इस विधान या इस विधान के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां विहित करता है, जिसके लिए इस विधान में किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है।

**खंड 33**—यह खंड इस विधान के अधीन अन्य अपराधों के लिए दंड विहित करता है, जब निरुद्धाधीन कोई पोत इसके निर्मुक्त होने के पूर्व समुद्र में ले जाया जाता है और पोत को निरुद्ध करने या सर्वक्षण करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अवरुद्ध या निरुद्ध या बलपूर्वक समुद्र में ले जाया जाता है।

**खंड 34**—यह खंड कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से संबंधित है और अन्य बातों के साथ यह उल्लिखित करता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावित विधान के अधीन कोई अपराध करता है एक कंपनी है, तब, प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। यह खंड यह और उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

**खंड 35**—यह खंड उपबंध करता है कि इस विधान के अधीन अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और शमनीय होंगे।

**खंड 36**—यह खंड उपबंध करता है कि कोई न्यायालय इस विधान के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केवल केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर ही लेगा।

**खंड 37**—यह खंड व्ययों के लेखे संदेय रकम के अवधारण और वसूली के लिए उपबंध करता है, जब कोई अपराध इस विधान के खंड 33 के अधीन किया गया है।

**धारा 38**—यह खंड इस विधान के अधीन किसी अपराध के विचारण के लिए न्यायालय की अधिकारिता और स्थान को विनिर्दिष्ट करता है।

**खंड 39**—यह खंड किसी पोत द्वारा वहन की गई किसी हानि या नुकसानी के लिए प्रतिकर के संदाय हेतु उपबंध करता है जिसे बिना किसी युक्तियुक्त कारण के असम्यक रूप से निरुद्ध या विलंबित किया जाता है और यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार

संयुक्त सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति के किसी अधिकारी को प्रतिकर के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णयक अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।

**खंड 40**—यह खंड उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस विधान के अधीन अपनी शक्तियों को राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी और राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इसके शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए भी उपबंध करता है।

**खंड 41**—यह खंड उपबंध करता है कि इस विधान के उपबंध पहले से प्रवृत्त किसी अन्य विधान के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसका अल्पीकरण नहीं करेंगे।

**खंड 42**—यह खंड उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी।

**खंड 43**—यह खंड उपबंध करता है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और अधिसूचना द्वारा इस विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियमों को बना सकेगा।

**खंड 44**—यह खंड उपबंध करता है कि इस विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

**खंड 45**—यह खंड केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या किसी प्राधिकृत व्यक्ति को इस विधान के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए संरक्षण देता है।

**खंड 46**—यह खंड कठिनाईयों को दूर करने से संबंधित है और यह उपबंध करता है कि यदि प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इसअधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और यह कि प्रत्येक ऐसा आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

## **वित्तीय ज्ञापन**

प्रस्तावित विधेयक में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वर्लित नहीं है।

## प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 का खंड 42 केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित नियम बनाने के लिए सशक्त करता है -- (क) धारा 4 के अधीन भौगोलिक क्षेत्र या विशेषज्ञता के क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य ; (ख) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक पोत द्वारा अनुपालन किए जाने वाले परिसंकटमय सामग्री के किसी प्रतिष्ठापन या प्रयोग पर अधिरोपित निर्बंधन और शर्तें ; (ग) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन पोतों के सर्वेक्षण के लिए सत्यापित की जाने वाली अपेक्षाएं ; (घ) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के अधीन पोत के सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित अन्य शर्तें ; (ड.) धारा 8 की उपधारा (2) और धारा 9 के अधीन परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए निर्बंधन और शर्तें, विधिमान्यता, रूपविधान और रीति ; (च) धारा 10 के खंड (ii) के अधीन पोत की संरचना और उपस्कर में परिवर्तन ; (छ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन पोत पुनर्चक्रण की सुविधा के प्राधिकार के लिए आवेदन करने के लिए प्ररूप, फीस और रीति ; (ज) धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन प्राधिकार के प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए रीति, अवधि और फीस ; (झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नियमित या अस्थायी कर्मकारों के लिए व्यक्तिगत या व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करने की रीति ; (ञ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन पोत के आगमन के बारे में अग्रिम सूचना की रीति ; (ट) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन अनुजा प्रदान करने के लिए अभिकरणों के प्रतिनिधियों की सेवाओं के अध्युपेक्षा ; (ठ) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन पोत पुनर्चक्रक का पर्यावरण नुकसानी के लिए दायित्व ; (ड) धारा 25 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील दाखिल करने की रीति और ऐसी अपील के निपटान की रीति ; (ढ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील दाखिल करने की रीति और ऐसी अपील के निपटान की रीति ; (ण) धारा 30 के परंतुक के अधीन अधिनियम के उपबंधों के लागू नहीं होने के लिए रीति जिसमें पोतों से कार्य किया जाना अपेक्षित है ; (त) धारा 37 के अधीन देय रकम को अवधारित करने और वसूल की रीति ; (थ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर की रकम, गणना की पद्धति और प्रतिकर की रीति, जिसका पोत हकदार होगा ; (द) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के संदाय के प्रयोजन के लिए जांच करने की रीति ; (ध) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है, या जो विहित किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

2. विधेयक का खंड 43 राष्ट्रीय प्राधिकारी को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में प्रकाशन द्वारा, अधिनियम और उसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों से सुसंगत निम्नलिखित उबंध करने के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है—  
(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा से संबंधित अपेक्षाएं ; (ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना तैयार करने की रीति ; (ग) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा रखे जाने वाले उपस्कर और अन्य मानक ; (घ) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन प्रारूप जिसमें प्राधिकार का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ; (ड.) धारा 12 की उपधारा (8) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकार के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि ; (च) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और निरीक्षण की रीति ; (छ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन पुनर्चक्रण के लिए तैयार

प्रमाणपत्र के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारी को आवेदन करने की रीति ; (ज) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र को जारी करने की रीति और रूपविधान ; (झ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने की रीति ; (ज) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा को प्राधिकृत करने के लिए प्राधिकारी ; (ट) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन पोत के स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ ; (ठ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश के लिए सुरक्षित और हॉटवर्क के लिए सुरक्षित या दोनों के लिए शर्त ; (ड) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा स्वीकृति का कथन जारी करने का प्ररूप और रीति ; (ढ) धारा 21 के खंड (ख) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा अनुपालन किए जाने वाली, परिसंकटमय सामग्री को हटाए जाने और उसके प्रबंधन तथा आधारिक अवसंरचना से संबंधित अपेक्षाएँ ; (ण) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा तेल फैलने की दशा में पोत पुनर्चक्रक को नोटिस के तामील की रीति ; (त) धारा 23 के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा समापन का कथन प्रस्तुत करने की रीति ; और (थ) कोई अन्य मामला जो विनियमों द्वारा अपेक्षित या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

3. वे विषय जिनके संबंध में उपरोक्त उल्लिखित विनियम बनाए जाने हैं प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।